एम.पी. स्टेट एग्रो इण्डस्ट्रीज डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लि.
पंचानन भवन, तृतीय तल, मालवीय नगर, भोपाल

2020–21 हेतु ऑन–लाईन

रेट कॉन्ट्रेक्ट ऑफर डॉक्युमेंट

(नियत तिथि 09.02.2021)

वर्ष 2020–21 में ई–टेंडरिंग के माध्यम से

मैन्यूली आपरेटेड (**Manually Operated**) एवं

बैलचलित (**Bullock Drawn**) कृषि यंत्र

प्रदाय हेतु रेट कॉन्ट्रेक्ट ऑफर की शर्तें तथा

कृषि यंत्रों का तकनीकी विवरण

उप महाप्रबंधक (इंजी.)

M P AGRO

एम.पी. स्टेट एग्रो इण्डस्ट्रीज डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लि.

पंचानन भवन, तृतीय तल, मालवीय नगर, भोपाल

ऑन–लाईन रेट कॉन्ट्रेक्ट ऑफर संबंधी महत्वपूर्ण नियम एवं शर्ते

क्र.	विवरण	पृष्ठ संख्या	पृष्ठ क्रमांक
01	प्रकाशित ऑन–लाईन रेट कॉन्ट्रेक्ट ऑफर सूचना	01	3
02	मैन्यूली आपरेटेड (Manually Operated) एवं बैलचलित (Bullock Drawn) कृषि यंत्रों के प्रदाय हेतु ऑन–लाईन रेट कॉन्ट्रेक्ट ऑफर की प्रक्रिया व DISCLAIMER	01	4
03	ऑन–लाईन रेट कॉन्ट्रेक्ट ऑफर के साथ संलग्न किये जाने वाले तकनीकी अर्हता संबंधी दस्तावेजों का विवरण	01	05
04	ऑन–लाईन रेट कॉन्ट्रेक्ट ऑफर की शर्तो का विवरण – परिशिष्ठ क्र. 1	10	6 से 15 तक
05	आफरकर्ता फर्म का विस्तृत विवरण परिशिष्ट – 4	01	16
06	आफरकर्ता के निर्माण इकाई की क्षमता से संबंधित विवरण परिशिष्ट – 4 (अ)	02	17–18
07	वित्तीय प्रस्ताव परिशिष्ट – 5	02	19–20
08	अनुबंध का प्रारूप परिशिष्ट – 6	01	21
09	फिजिबिलिटी रिपोर्ट हेतु निर्माण ईकाई की जानकारी एवं दस्तावेजों का विवरण– परिशिष्ट – 7 व 8	03	22 से 24 तक
10	आफरकर्ता (निर्माता) द्वारा ऑन लाईन आरसीओ में दर आफर करने का अथॉरिटी लेटर परिशिष्ट–9 में देना होगा।	01	25
11	मैन्यूली आपरेटेड (Manually Operated) एवं बैलचलित (Bullock Drawn) कृषि यंत्रों के तकनीकी मापदण्ड परिशिष्ट – 2, एवं 2''ए''.......2''बी'', 3, 3''ए', 3''बी''	46	26 से 71 तक

उप महाप्रबंधक (इंजी.)

M P AGRO
एम.पी. स्टेट एग्रो इण्डस्ट्रीज डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लि.
पंचानन भवन, तृतीय तल, मालवीय नगर, भोपाल
दूरभाष कं. 0755–2551652, 2551756

क्र. / मुख्या / इंजी. / 2020–21 /   दिनांक : 15.01.2021

ऑन–लाईन रेट कॉन्ट्रेक्ट ऑफर सूचना

निगम द्वारा **मैन्यूली आपरेटेड (Manually Operated) एवं बैलचलित (Bullock Drawn)** कृषि यंत्रों की **दर** के लिये ऑन–लाईन रेट कॉन्ट्रेक्ट ऑफर आमंत्रित किये जा रहे हैं। अंतिम तिथि दि. 09.02.2021 व समय दोपहर 2.00 बजे तक है।

विस्तृत विवरण निगम की वेबसाईट **www.mpagro.org** तथा **www.mptenders.gov.in** पर उपलब्ध है ।

उप महाप्रबंधक (इंजी.)

M P AGRO

एम.पी. स्टेट एग्रो इण्डस्ट्रीज डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लि.
पंचानन भवन, तृतीय तल, मालवीय नगर, भोपाल
दूरभाष क्रं. 0755–2551652, 2551756 फैक्स–2557305
E-Mail : mpagrohobpl@gmail.com, Website : www.mpagro.org

DISCLAIMER, , RCO FEE, TIME SCHEDULE & EMD

A. DISCLAIMER

Though adequate care has been taken in the preparation of this RCO document. The offerer should satisfy himself that the document is complete in All respect. Intimation of discrepancy, if Any, should be given to M.P. Agro before opening date. If M.P. Agro receives no intimation, it shall be deemed that the Offerer is satisfied that the document is complete in All respects.

B. ON LINE RATE CONTRACT OFFER PROCESS

On Line The Rate Contract Offer (RCO) is invited under E- Tender system and bidding process will have following steps:

<table>
<tr><td>RCO Fee</td><td>Rs 4000 + 720 (18% GST) = 4720 ((shall be paid online) (Non Refundable))</td></tr>
<tr><td><u>EMD OF (MANUALLY OPERATED IMPLEMENT):-</u>
MAIZ SHALLER/SERRATED SICKLE/WINNOWING FAN (I & II) /SOYA WEEDER/ LOW.LIFT. PUMP (HAND & PEDAL)/CHAFF CUTTER (ISI MARKED & NON ISI) / SPIRAL SEED GRADER (7DISC)/G.N. DECORTICATOR</td><td rowspan="2"><u>1-</u> EMD Rs. 20,000/- (FOR EACH IMPLEMENT) CAN BE DEPOSITED ON DUE DATE ------------- UPTO 02:00 PM, AS PER POINT NO. 2.
2 - EMD RS. 20,000/- SHALL BE DEPOSITED ON-LINE AND REMAINING AMOUNT OF EARNEST MONEY SHOULD BE PAID IN THE FORM OF DD IN FAVOUR OF "M.P. STATE AGRO INDUSTRIES DEVELOPMENT CORPORATION LIMITED" PAYBLE AT BHOPAL"
3 - REQUIRED DEMAND DRAFT. (AS PER POINT NO. 2) SHOULD BE SUBMITED WITH HARD COPIES OF TENDER DOCUMENT ON DUE DATE.</td></tr>
<tr><td><u>EMD OF (B.D. IMPLEMENT):-</u>
AUTO.SEED CUM FERTI. DRILL (3-FURROW)/ SINGLE DORA/ BUND FORMER/ MULTI TOOL FRAME/ REVERSIBLE PLOUGH</td></tr>
<tr><td colspan="2">NO EXEMPATATION IS APPLICABLE FOR RCO DOCUMENT FEE AND EMD</td></tr>
</table>

C. TIME SCHEDULE :-

Stages of Bidding	Scheduled time	Scheduled Date
Purchase of RCO (End Date)	Upto 2.00 PM	09.02.2021
Closing of RCO (End Date)	Upto 2.00 PM	09.02.2021
Opening of technical Bid	At 3.30 PM	10.02.2021 (tentative)
Opening of Price Bid	At 3.30 PM	15.02.2021 (tentative)

Each stage will take place on the date and time mentioned against them. However if the date and time is changed / postponed information in this regard will be published on corporation website www.mpagro.org .

<u>नोट :–उपरोक्त निर्धारित दिनांकों को यदि शासकीय/स्थानीय अवकाश घोषित होता है तो सभी प्रयोजनों के लिये आगामी कार्य दिवस में तदनुसार निर्धारित कार्यवाही की जावेगी।</u>

उप महाप्रबंधक (इंजी)

M P AGRO

एम.पी. स्टेट एग्रो इण्डस्ट्रीज डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लि.
पंचानन भवन, तृतीय तल, मालवीय नगर, भोपाल

ऑन–लाईन रेट कांट्रेक्ट आफर अंतर्गत निम्नानुसार तकनीकी अर्हता संबंधी दस्तावेज (स्वहस्ताक्षरित व सील लगे हुये) की स्केन कापी निगम की वेबसाईट पर ''अपलोड'' करना अनिवार्य है :–

1 संकल्प धन राशि का ड्राफ्ट जो ''एम पी स्टेट एग्रो इण्ड डेव्ह. कार्पो. लि'' के नाम से भोपाल देय हो, ऑन–लाईन **रेट कांट्रेक्ट आफर के साथ संकल्प धनराशि के ड्राफ्ट की स्केन कॉपी।**

2 जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र द्वारा (कृषि यंत्र निर्माण के उल्लेख सहित) जारी वैद्य पंजीयन पत्र की स्वप्रमाणित छायाप्रति की स्केन कॉपी।

3. वाणिज्य कर विभाग द्वारा जारी वैद्य जी.एस.टी.एन. नंबर की स्वप्रमाणित प्रतिलिपि की स्केन कॉपी।

4. आयकर विभाग द्वारा जारी पेन नंबर की स्वप्रमाणित प्रति की स्केन कॉपी।

5. संचालनालय कृषि अभियांत्रिकी भोपाल द्वारा जारी वैध पंजीकरण पत्र की स्वप्रमाणित प्रतिलिपि या पंजीयन हेतु आवेदन करने संबंधी जानकारी की स्केन कॉपी।

नोट :–

1. उपरोक्तानुसार तकनीकी अर्हता में उपयुक्त पाये गये ऑफरकर्ताओं की ही ऑन–लाईन दरें खोली जावेगीं । ऑन–लाईन दरें खोलने का अंतिम निर्णय निगम का होगा। ऑन–लाईन दरें खोलने की तिथि में परिवर्तन होने पर संशोधित दिनांक एवं समय ऑफरकर्ताओं को वेबसाईट एवं दूरभाष पर सूचित किया जावेगा ।

उप महाप्रबंधक (इंजी.)

M P AGRO

एम.पी. स्टेट एग्रो इण्डस्ट्रीज डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लि.
पंचानन भवन, तृतीय तल, मालवीय नगर, भोपाल

परिशिष्ट– 1

मैन्यूली आपरेटेड (Manually Operated) एवं बैलचलित (Bullock Drawn) कृषि यंत्रों के प्रदाय हेतु ऑन–लाईन रेट कांट्रेक्ट ऑफर संबंधी नियम एवं शर्ते

वर्ष 2020–21 एवं आगे के लिए निगम के जिला प्रबंधकों के माध्यम से मध्यप्रदेश के समस्त जिलों में (विकास खण्ड स्तर तक पहुंचाकर) निगम द्वारा निर्धारित गुणवत्ता के मैन्यूली आपरेटेड (Manually Operated) एवं बैलचलित (Bullock Drawn) कृषि यंत्रों के प्रदाय हेतु केवल निर्माताओं से जो संचालनालय कृषि अभियांत्रिकी में पंजीकृत हैं, निर्धारित रेट कॉन्ट्रेक्ट ऑफर प्रपत्र में आफर आमंत्रित किये जाते हैं। ऑन–लाईन रेट कॉन्ट्रेक्ट ऑफर प्रस्तुत करने हेतु सामान्य शर्तें निम्नानुसार है :–

1. **ऑन लाईन रेट कांट्रेक्ट आफर प्रस्तुत करने की अर्हता :–**

मैन्यूली आपरेटेड (Manually Operated) एवं बैलचलित (Bullock Drawn) कृषि यंत्रों के निर्माता जिनके पक्ष में जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, कार्यालय द्वारा कृषि यंत्र के निर्माण की वैद्य अनुज्ञा निर्धारित प्रपत्र में जारी की गई हो तथा वह रेट कॉन्ट्रेक्ट आफर प्रपत्र प्रस्तुत करने की दिनॉक से न्यूनतम आगामी एक वर्ष के लिये वैद्य हो । निर्माता का संचालनालय कृषि अभियांत्रिकी में पंजीकृत होना आवश्यक है।

2. **आवश्यक दस्तावेज –**

रेट कॉन्ट्रेक्ट ऑफर के साथ ऑन–लाईन एवं हार्ड कापी कमशः ''अ'' एवं ''ब'' में दर्शाये अनुसार दस्तावेज प्रस्तुत किये जाना अनिवार्य है।

''अ''– **ऑन..लाईन रेट कांट्रेक्ट आफर अंतर्गत ऑन..लाईन दर भरना अनिवार्य है एवं तकनीकी अर्हता संबंधी दस्तावेजों की स्केन कॉपी निगम की वेबसाईट www.mptenders.gov.in पर अपलोड करना अनिवार्य है :–**

1. संकल्प धन राशि का ड्राफ्ट जो ''एम पी स्टेट एग्रो इण्ड डेव्ह. कार्पो. लि'' के नाम से भोपाल देय हो, रेट कांट्रेक्ट ऑफर **के साथ संकल्प धनराशि के ड्राफ्ट की स्केन कॉपी।**
2. जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र द्वारा (कृषि यंत्र निर्माण के उल्लेख सहित) जारी वैद्य पंजीयन पत्र की स्वप्रमाणित छायाप्रति की स्केन कॉपी।
3. वाणिज्य कर विभाग द्वारा जारी वैद्य जी.एस.टी.एन. नंबर की स्वप्रमाणित प्रतिलिपि की स्केन कॉपी।
4. आयकर विभाग द्वारा जारी पेन नंबर की स्वप्रमाणित प्रति की स्केन कॉपी।
5. संचालनालय कृषि अभियांत्रिकी भोपाल द्वारा जारी वैध पंजीकरण पत्र की स्वप्रमाणित प्रतिलिपि या पंजीयन हेतु आवेदन करने संबंधी जानकारी की स्केन कॉपी।

''ब''–**रेट कांट्रेक्ट आफर के साथ Hard Copy में निम्नानुसार दस्तावेज बंद लिफाफे में आफर–बाक्स में प्रस्तुत किये जाना अनिवार्य हैः–**

1. जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र द्वारा (कृषि यंत्र निर्माण के उल्लेख सहित) जारी वैद्य पंजीयन पत्र की स्वप्रमाणित छायाप्रति।
2. वाणिज्य कर विभाग द्वारा जारी वैद्य जी.एस.टी.एन. नंबर की स्वप्रमाणित प्रतिलिपि।
3. आयकर विभाग द्वारा जारी वैद्य पेन नंबर की स्वप्रमाणित प्रति।
4. संचालनालय कृषि अभियांत्रिकी भोपाल द्वारा जारी वैद्य पंजीकरण पत्र की स्वप्रमाणित प्रतिलिपि या पंजीयन हेतु आवेदन करने संबंधी जानकारी।
5. संकल्प धन राशि का ड्राफ्ट जो ''एम पी स्टेट एग्रो इण्ड डेव्ह. कार्पो. लि'' के नाम से भोपाल में देय हो, **रेट कांट्रेक्ट आफर के साथ संकल्प धनराशि का ड्राफ्ट (बिन्दु क. 03 व 06 में दर्शाये विवरण के अनुसार) संलग्न करना अनिवार्य है।**

6. वाणिज्यिक कर क्लीयरेन्स सर्टिफिकेट (दि. 30.06.2020 की स्थिति में)।
7. पूर्ण रूप से भरे हुये एवं स्वहस्ताक्षरित संपूर्ण रेट कांट्रेक्ट आफर डाक्यूमेंट।
8. आफरकर्ता की फैक्ट्री में स्थापित मशीनों का विवरण, कामगारों की संख्या, विद्युत लोड का विवरण एवं निर्माण इकाई में ऑफर किये गये कृषि यंत्रों की निर्माण क्षमता (मासिक)। परिशिष्ट 3–ए के अनुसार।
9. आफरकर्ता को विगत 3 वर्षो में किये गये कृषि यंत्र व्यवसाय (टर्नओवर) की चार्टर्ड एकाउण्टेन्ट द्वारा सत्यापित जानकारी रेट कांट्रेक्ट आफर के साथ अनिवार्यतः संलग्न करना है।
10. मैन्यूली आपरेटेड (Manually Operated) एवं बैलचलित (Bullock Drawn) कृषि यंत्रों की वास्तविक निर्माण (60 दिवस में) क्षमता संबंधी **FEASIBILITY REPORT.** जो कि जिला उद्योग केन्द्र/बैंक/शासकीय मान्यता प्राप्त संस्था (जैंसे–राईट्स/आई.आर.क्लास/एस.जी.एस. इत्यादि) द्वारा दी गई हो।
11. आईएसआई मार्कड चैफ कटर के लिये भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा जारी वैध बीआईएस प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित प्रतिलिपि प्रदायक को संलग्न करना है।
12. ऑन लाईन रजिस्ट्रेशन फीस जमा करने के एक्नॉलेजमेंट की कॉपी।

नोट– **जो निर्माता विधिवत रूप से ऑन–लाईन आफर दर/अनिवार्य दस्तावेजों की स्केन कापी सहित निर्धारित तिथि एवं समय पर प्रस्तुत करेंगे एवं तकनीकी रूप से पात्र होंगे, उन्हीं की ऑन–लाईन दरें खोली जायेंगी।**

3. ई–टेंडरिंग/ऑन–लाईन ऑफर प्रस्तुत करने की प्रकिया–

1. ई–टेंडरिंग के माध्यम से भाग लेने हेतु निर्माता कृपया नियम शर्तों का विशेष रूप से अध्ययन करने के उपरांत ऑफर दर व अनिवार्य दस्तावेजों को ऑन – लाईन सम्मिलित करने हेतु क्लास 3 डिजिटल सिग्नेचर लेना होगा।
2. ई–टेंडरिंग के माध्यम से ऑफर प्रस्तुत करने हेतु रजिस्ट्रेशन फीस (नॉन–रिफन्डेबिल) रूपये 4720/– ''ऑन–लाईन'' जमा करना अनिवार्य है।
3. *ई–टेंडरिंग के अंतर्गत आफरकर्ता को न्यूनतम धरोहर राशि रू. 20,000/– (रिफन्डेबिल) ''ऑन–लाईन'' जमा करना अनिवार्य है। शेष धरोहर राशि बिन्दु क्र. 6 में दर्शाये अनुसार आंकलन कर डिमांड ड्राफ्ट के रूप में जमा करना अनिवार्य है।*

4. ऑन–लाईन रेट कॉन्ट्रेक्ट ऑफर प्रस्तुत करना :–

ई–टेंडरिंग के अंतर्गत निर्धारित ऑन–लाईन रेट कांट्रेक्ट आफर प्रपत्र की कीमत रू. 4720/– (वापसी योग्य नहीं) का ऑन–लाईन भुगतान करके **www.mptenders.gov.in** पर जाकर ई–टेंडरिंग के अंतर्गत आफर दर व दस्तावेजों (शर्त क्र. 02 ''अ'' अनुसार) की स्केन कापी के साथ निर्धारित तिथि/समय तक भर सकते हैं, परन्तु निगम की वेबसाईट **www.mpagro.org** से ऑन–लाईन रेट कॉन्ट्रेक्ट ऑफर प्रपत्र डाउनलोड किये जा सकते हैं।

1. भौतिक रूप से भी ऑन–लाईन रेट कॉन्ट्रेक्ट ऑफर प्रपत्र निर्माता द्वारा निगम कार्यालय में निर्धारित तिथि दिनांक 09.02.2020 को **समय** दोपहर 2.00 बजे तक इंजीनियरिंग कक्ष के ऑफर बॉक्स में दिये जाना आवश्यक है।
2. एक निर्माता से एक ही रेट कांट्रेक्ट आफर स्वीकार किया जावेगा।
3. ऑन–लाईन रेट कॉन्ट्रेक्ट ऑफर प्रपत्र (हार्ड कापी) सभी प्रकार से पूरी तरह भरा हुआ एवं शर्त कं.–2 ''ब'' के समस्त दस्तावेज (हार्ड कापी) के साथ बंद लिफाफे में **निगम मुख्यालय भोपाल स्थित कार्यालय में उपमहाप्रबंधक (इंजी) के कक्ष में निर्धारित आफर बॉक्स में निर्धारित तिथि/समय पर प्राप्त किये जावेंगे।** लिफाफा के ऊपर स्पष्ट शब्दों में मैन्यूली आपरेटेड (Manually Operated) एवं बैलचलित (Bullock Drawn) कृषि यंत्रों के प्रदाय हेतु ऑन–लाईन रेट कान्ट्रेक्ट आफर लिखा जावे।

5. <u>दर संबंधी शर्तें –</u>

1. दरें ऑन लाईन रेट कान्ट्रेक्ट आफर प्रपत्र के निर्धारित परिशिष्ट–5 में ऑन लाईन दरें प्रस्तुत करना है।
2. प्रस्तुत दर निगम के जिला प्रबंधकों के माध्यम से मध्यप्रदेश के समस्त जिलों में (विकास खण्ड स्तर तक पहुंचाकर) परिवहन व्यय, लोडिंग/अनलोडिंग, निरीक्षण शुल्क, समस्त कर (GST) एवं ड्यूटी एवं **<u>5 प्रतिशत निगम मार्जिन सहित</u>** होगी।
3. प्रस्तुत दर रेट कांट्रेक्ट आफर प्रपत्र की शर्त <u>क्र.–20</u> के तहत न्यूनतम होना आवश्यक है।
4. ऑन लाईन रेट कान्ट्रेक्ट आफर के अंतर्गत अनुमोदित दरें एक वर्ष (अनुमोदित तिथि से) तक लागू रहेंगी। इस अवधि के पश्चात निगम द्वारा यह अवधि आफरकर्ता की सहमति से बढ़ाई जा सकती है। दिनांक 31.03.2022 से पूर्व भी दरें निगम द्वारा निरस्त की जा सकती है।
5. दरों को अंकों एवं शब्दों में दिया जाना आवश्यक है। अंकों एवं शब्दों में अंतर होने की स्थिति में शब्दों में दी गई दर को अंतिम मान्य किया जाऐगा।
6. वर्तमान में मैन्यूली आपरेटेड (Manually Operated) एवं बैलचलित (Bullock Drawn) कृषि यंत्रों पर किसी प्रकार का कर देय होने पर अथवा भविष्य में शासन द्वारा अधिरोपित किये जाने की दशा में दरों में तदनुसार कर मान्य किया जावेगा।

6. <u>संकल्प धनराशि :–</u>

मैन्यूली आपरेटेड (Manually Operated) एवं बैलचलित (Bullock Drawn) कृषि यंत्रों की संकल्प धनराशि का विवरण निम्नानुसार है :–

<table>
<tr><th>क्रं.</th><th>कृषि यंत्र का नाम</th><th>क्रं.</th><th>कृषि यंत्र का नाम</th><th>संकल्प धन राशि</th></tr>
<tr><td>अ.</td><td>हस्तचलित</td><td>ब.</td><td>बैलचलित</td><td rowspan="12">रू. 20,000/– प्रति यंत्र के लिये पृथक–पृथक देय होगी।</td></tr>
<tr><td>01</td><td>मेज शेलर</td><td>01</td><td>ऑटोमेटिक सीडकम फर्टिलाइजर ड्रिल</td></tr>
<tr><td>02</td><td>सिरेटेड सिकिल</td><td>02</td><td>सिंगल डोरा</td></tr>
<tr><td>03</td><td>विनोईंग फेन–1</td><td>03</td><td>बण्ड फार्मर</td></tr>
<tr><td>04</td><td>विनोईंग फेन–2</td><td>04</td><td>मल्टी टूल फ्रेम</td></tr>
<tr><td>05</td><td>सोयाबीन वीडर</td><td>05</td><td>रिवर्सिबिल प्लाउ</td></tr>
<tr><td>06</td><td>लो लिफ्ट पंप (हेड)</td><td colspan="2" rowspan="6"><u>नोटः–</u> संकल्प धन राशि (रू. 20,000/– ऑन लाइन जमा करना है एवं शेष धरोहर राशि उपरोक्तानुसार गणना कर डिमांड ड्राफ्ट के रूप में जमा करना अनिवार्य है)</td></tr>
<tr><td>07</td><td>लो लिफ्ट पंप (पेडल)</td></tr>
<tr><td>08</td><td>ग्राउंड नट डिकार्टीकेटर</td></tr>
<tr><td>09</td><td>चैफ कटर (ISI Marked)</td></tr>
<tr><td>10</td><td>चैफ कटर (Non ISI)</td></tr>
<tr><td>11</td><td>स्पायरल सीड ग्रेडर (7 Disc)</td></tr>
</table>

ऑन लाईन रेट कान्ट्रेक्ट आफर के साथ उपरोक्तानुसार दर्शाई गई <u>संकल्प धन राशि का बैंक ड्राफ्ट जो ''एम पी स्टेट एग्रो इण्ड डेव कार्पो लि.'' के पक्ष में भोपाल में देय हो, संलग्न होना आवश्यक है</u>। संकल्प धन राशि *(रू. 20,000/– ऑन लाइन एवं शेष धरोहर राशि डिमांड ड्राफ्ट के रूप में जमा करना है)* के अभाव में ऑन लाईन रेट कान्ट्रेक्ट आफर किसी भी स्थिति में मान्य नहीं किया जावेगा।

7. **ऑन–लाईन रेट कान्ट्रेक्ट आफर का खोला जाना :–**

ऑफरकर्ता उपमहाप्रबंधक (इंजी) एम पी स्टेट एग्रो इण्ड डेव्ह. कार्पो. लिमि. पंचानन तृतीय तल, मालवीय नगर, भोपाल कार्यालय में रखे निर्धारित रेट कांट्रेक्ट आफर बाक्स में दिनांक 09.02.2021 दोपहर 2.00 बजे तक विधिवत भरे हुये ऑन लाईन रेट कॉन्ट्रेक्ट ऑफर प्रपत्र की हार्ड कापी एवं मय चाहे गये दस्तावेजों (शर्त क्र. 02 ''ब'' अनुसार) की हार्ड कापी जमा कर सकेंगे।

ऑन लाईन रेट कान्ट्रेक्ट आफर की तकनीकी–बिड दिनांक 10.02.2021 को दोपहर 2.00 बजे उपस्थित आफरकर्ता अथवा उनके अधिकृत प्रतिनिधियों के समक्ष खोले जावेंगे। तकनीकी रूप से जो ऑफरकर्ता पात्र होंगे, उन्हीं की ऑन–लाईन दरें (प्राईस–बिड) निर्धारित तिथि को खोली जायेंगी। यदि किसी कारणवश ऑन लाईन आफर खोलने की तिथि एवं समय में परिवर्तन किया जाता है तो संशोधित तिथि व समय की सूचना निगम की वेबसाईट www.mpagro.org & **www.mptenders.gov.in** पर, मुख्यालय के नोटिस बोर्ड पर दी जाएगी व ऑफरकर्ता अथवा उनके प्रतिनिधियों द्वारा जानकारी लेने पर दी जा सकेगी।

8. **सशर्त आफर :–**

निगम द्वारा ऑन लाईन रेट कान्ट्रेक्ट आफर प्रपत्र में उल्लेखित शर्तो के अतिरिक्त किसी भी प्रकार की शर्त मान्य नहीं की जायेगी। सशर्त आफर अमान्य किया जावेगा।

9. **धरोहर राशि :–**

अ. उन ऑफरकर्ताओं जिनकी दरें निगम द्वारा स्वीकृत कर ली गई है, उनकी ऑफर के साथ प्रस्तुत की गई संकल्प धन राशि को धरोहर राशि के रूप में अनुबंध की अवधि तक जमा रखा जायेगा।

ब. धरोहर राशि पर कोई ब्याज देय नहीं होगा।

स. अनुबंध की प्रभावशीलता अवधि में कोई विवाद न होने की दशा में अनुबंध अवधि समाप्त होने के उपरांत प्रदायक द्वारा लिखित में आवेदन दिये जाने पर धरोहर राशि बिना ब्याज के एकाउंट पेयी चैक के माध्यम से वापस की जा सकेगी।

द. संकल्प धन राशि/धरोहर राशि निम्न स्थिति में जप्त की जा सकती है :–

1. निगम द्वारा आफरकर्ता के बिड/ऑफर को स्वीकृत/अमान्य/ निरस्त करने के पूर्व अपना ऑफर वापस लिये जाने की दशा में।
2. ऑन लाईन रेट कान्ट्रेक्ट आफर के साथ गलत जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत करने की दशा में।
3. निगम के आदेश के विरूद्ध निर्धारित समय सीमा में आदेशित सामग्री प्रदाय न किये जाने की दशा में।
4. प्रदाय सामग्री की गुणवत्ता निर्धारित मापदंण्डों के अनुरूप न होने की दशा में निगम द्वारा सामग्री को पूर्ण गुणवत्ता की सामग्री बदल कर देने हेतु लिखे जाने के उपरान्त भी निर्धारित समयसीमा में नही बदलने पर।
5. प्रदायक द्वारा ऐसी कोई कार्यवाही करने पर जिससे निगम की छवि को हानि पहुंचे/निगम को कोई व्यवसायिक हानि हो। धरोहर राशि जप्त करने के साथ ही निगम के प्रबंध संचालक संबंधित आफरकर्ता फर्म को निगम के माध्यम से प्रदाय करने हेतु 1 से 5 वर्ष तक के लिए वंचित भी कर सकते हैं।

10. अनुबंध का निष्पादन :–

योग्य पाये गये आफरकर्ता को निर्धारित प्रारूप (परिशिष्ठ 6) अनुसार राशि रू. 1000/– के गैर न्यायिक स्टाम्प पेपर पर अनुबंध निष्पादित करना होगा। निगम द्वारा जिन आफरकर्ता के ऑन–लाईन आफर को मान्य किया जावेगा, को अनुबंध निष्पादित करने हेतु विधिवत सूचना दी जावेगी। यदि आफरकर्ता निगम द्वारा निर्धारित समय सीमा में निगम के साथ अनुबंध निष्पादित नहीं करते है तो निगम द्वारा उनके बिड/आफर को अमान्य करते हुए जमा संकल्प धन राशि को जप्त कर लिया जायेगा।

11. तकनीकी मापदंड :–

मैन्यूली आपरेटेड (Manually Operated) एवं बैलचलित (Bullock Drawn) कृषि यंत्रों के हेतु तकनीकी मापदण्ड परिशिष्ट क्रं.–2, 2''ए'', 2''बी', 3, 3ए, 3बी अनुसार रहेंगे। तकनीकी मापदण्डों में आवश्यक होने पर (+) 5 प्रतिशत का अंतर मान्य किया जावेगा। अनुदान योजनांतर्गत प्रदाय किये जाने वाले यंत्रों में प्राइमर रेड आक्साइड एवं पेंट उत्कृष्ट गुणवत्ता के (जैसे–एशियन/ब्रिटिश वर्जर आदि) निम्नानुसार रंग के लगाये जाना हैः–

क्रं.	कृषि यंत्र का नाम	पार्टस् का नाम	पेन्ट का रंग	रिमार्क
01	<u>मैन्यूली आपरेटेड (Manually-Operated)</u> मैज शैलर/सिरेटेड सिकिल/विनोइंग फेन (I & II) / सोया वीडर /लो लिफट पंप (Hand & Pedal)/ ग्राउंड नट डिकार्टीकेटर	ब्लेड, फ्रेम हेंडिल	**काले रंग में**	यंत्रों के पुर्जो में रेड आक्साईड लगाने के पश्चात् पेन्ट तालिका में दर्शाया रंग का उत्कृष्ट गुणवत्ता का लगाया जाना अनिवार्य है एवं उपरोक्त विभिन्न रंग नही लगाये जाने पर यंत्रों को अमान्य किया जावेगा ।
		शेष पुर्जे	**हरे रंग में**	
02	<u>बैलचलित (Bullock Drawn Impliment)</u> आटोमैटिक सीड कम फर्टीलाईजर ड्रिल (3फरो)/ सिंगल डोरा/वंड फार्मर/ मल्टी टूल फ्रेम/ रिवर्सिविल प्लाउ	ब्लेड, फ्रेम हेंडिल, शावेल	**काले रंग में**	**उपरोक्तानुसार**
		शेष पुर्जे	**हरे रंग में**	
03	<u>मैन्यूली आपरेटेड (Manually Operated)</u> चैफ कटर (नॉन– आईएसआई) हस्तचलित	स्टेण्ड	**काले रंग में**	**यंत्रों के पुर्जों में रेड आक्साईड लगाने के पश्चात् पेंट तालिका में दर्शाये रंग का उत्कृष्ट गुणवत्ता का लगाया जाना अनिवार्य है। नहीं लगाने पर यंत्रों का अमान्य किया जावेगा।**
		शेष पुर्जे	**हरा रंग में**	
04	<u>मैन्यूली आपरेटेड (Manually Operated)</u> चैफ कटर (आईएसआई मार्कड) हस्तचलित	स्टेण्ड	**काले रंग में**	**बीआईएस स्पेसिफिकेशन अनुसार ही उत्कृष्ट गुणवत्ता के रेड आक्साईड व पेंटस का उपयोग करना सुनिश्चित करें।**
		शेष पुर्जे	**हरा रंग में**	
05	<u>मैन्यूली आपरेटेड (Manually Operated)</u> स्पायरल सीड ग्रेडर (7 डिस्क) हस्तचलित	स्टेण्ड	**काले रंग में**	**यंत्रों के पुर्जों में रेड आक्साईड लगाने के पश्चात् पेंट तालिका में दर्शाये रंग का उत्कृष्ट गुणवत्ता का लगाया जाना अनिवार्य है। नहीं लगाने पर यंत्रों का अमान्य किया जावेगा।**
		शेष पुर्जे	**सिल्वर रंग में**	

12. *निर्माण संबंधी जानकारी :*

आफरकर्ता को कृषि यंत्रवार निर्माण करने की क्षमता परिशिष्ट क्रं. 4 ''अ'' एवं 4 में अनिवार्यतः दर्शाना होगी।

आदेशित सामग्री का निर्माण, निर्माता द्वारा स्वयं ही किया जाना होगा अर्थात् अन्य निर्माताओं से निर्मित कृषि यंत्र क्रय कर निगम को प्रदाय नहीं किये जा सकेगें।

13. निर्माण संबंधी ''**FEASIBILITY REPORT**'' –

मैन्यूली आपरेटेड (Manually Operated) एवं बैलचलित (Bullock Drawn) कृषि यंत्रों की तकनीकी गुणवत्ता व निर्माण क्षमता (60 दिवस में ——— नग) आदि सुनिश्चित करने हेतु , प्रदायक को जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र/राष्ट्रीयकृत बैंक/अथवा भारत शासन से मान्यता प्राप्त गुणवत्ता निरीक्षण एजेन्सी (जैसे – राईट्स/आई.आर. क्लास/एस.जी.एस. इत्यादि) के द्वारा निर्माण इकाई का निरीक्षण करवाकर, निर्माण ईकाई की ''**फिजिबिलिटी–रिपोर्ट**'' एवं मैन्यूली आपरेटेड (Manually Operated) एवं बैलचलित (Bullock Drawn) कृषि यंत्रों की वास्तविक निर्माण क्षमता (60 दिवस में ——— नग) सहित प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

FEASIBILITY रिपोर्ट प्राप्त करने के लिये आफरकर्ता को उनकी निर्माण ईकाई की जानकारी निर्धारित प्रारूप (परिशिष्ट–7) में भरकर एवं सूची (परिशिष्ट–8) अनुसार दस्तावेज संबंधित संस्था/बैंक/जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र (जिसे रिपोर्ट देना है) को प्रस्तुत करना होंगे एवं FEASIBILITY रिपोर्ट की फीस/शुल्क राशि का भुगतान ऑफरकर्ता द्वारा वहन किया जाना है।

14. सामग्री के सैंपल :–

आफरकर्ता को दर आफर किये कृषि यंत्र मैन्यूली आपरेटेड (Manually Operated) एवं बैलचलित (Bullock Drawn) कृषि यंत्रों का रेट कांट्रेक्ट आफर में निर्धारित तकनीकी मापदण्ड अनुसार ही सेम्पल मांगे जाने पर **निगम के जिला कार्यालय, पुतलीघर, सिंधी कालोनी, भोपाल में तत्काल प्रस्तुत किया जाना है। सेम्पल का निरीक्षण कृषि अभियांत्रिकी संचालनालय द्वारा किया जावेगा।**

15. यंत्रों पर निर्माता के नाम एवं अन्य विवरण की धातुपट्टिका –

आफरकर्ता को प्रदाय के पूर्व समस्त कृषि यंत्रों पर निम्नानुसार विवरण की धातू की पट्टिका अनिवार्यतः लगाना होगी :–

1. कृषि यंत्र का नाम :
2. निर्माता का नाम एवं पता :
3. निर्माण वर्ष :
4. मॉडल (मेक) :
5. कृषि यंत्र का वजन :

निरीक्षण के दौरान धातू पट्टिका एवं पट्टिका पर उपरोक्त जानकारी न पाये जाने पर ऐसे कृषि यंत्रों को निरस्त किया जा सकता है, जिसके लिये निगम जबावदार नही रहेगा।

आफरकर्ता को कृषि यंत्रों की आपूर्ति निगम के जिला कार्यालय के माध्यम से प्रदेश के जिलों में विकासखण्ड अथवा निर्धारित स्थल तक पहुंचाकर करना होंगे। यंत्रों का निरीक्षण, निर्माण स्थल/भण्डारण स्थल या हितग्राही के पास तक निरीक्षण रेण्डम आधार पर निरीक्षण एजेन्सी (आई.आर.क्लास आदि) या कृषि अभियांत्रिकी संस्थान द्वारा किया जावेगा। सामग्री की गुणवत्ता तकनीकी मापदण्ड अनुसार ना पाये जाने पर पूरे लाट को निरस्त कर आगामी कार्यवाही की जावेगी।

16. निगम के माध्यम से प्रदाय :–

अ. निगम द्वारा अनुबंधित प्रदायकों के लिये यह आवश्यक होगा कि वे निगम द्वारा अनुमोदित दरों पर राज्य के शासकीय विभागों/शासकीय उपक्रमों को निगम के माध्यम से ही विधिवत प्रदाय आदेश जारी होने के उपरांत ही प्रदाय करेंगे। यदि यह पाया जाता है कि प्रदायक द्वारा बिना निगम को जानकारी दिये किसी अन्य विभाग के माध्यम से प्रदाय किया जाता है तो निगम ऐसे प्रदायक की अनुमोदित दरों को निरस्त करते हुए जमा धरोहर राशि को जप्त कर सकेगा तथा धरोहर राशि के जप्त करने के प्रकरण में, धरोहर राशि जप्त करने के साथ ही निगम के प्रबंध संचालक संबंधित फर्म को निगम के माध्यम से प्रदाय करने के लिए 1 से 5 वर्ष तक के लिए वंचित भी कर सकते हैं।

ब. निगम द्वारा दरों को स्वीकृत करने का अर्थ यह नहीं होगा कि, इन स्वीकृत दरों को मध्यप्रदेश राज्य के लिये अनुमोदित दरें मानते हुये अनुबंधकर्ता किसी भी विभाग से सीधा व्यवसाय करें। किसी भी विधिक प्रयोजन की दृष्टि से निगम द्वारा स्वीकृत दर ''अनुमोदित दरों'' के रूप में मान्य नहीं होगी। बिना निगम की जानकारी के यदि स्वीकृत दरों पर कोई व्यवसाय किया जाता है तो, निगम उसके लिये किसी भी रूप में उत्तरदायी नहीं होगा। प्रत्येक आफरकर्ता से अपेक्षा की जाती है कि वह इस शर्त के संबंध में व्यवसाय करने के पूर्व संबंधित विभाग को लिखित में अवगत करा दें।

17. सामग्री के प्रदाय हेतु निर्धारित प्रक्रिया एवं समय सीमा –

अ. निगम आदेश में उल्लेखित समय सीमा के अन्तर्गत निगम के जिला कार्यालय के माध्यम से आदेशानुसार निर्धारित स्थान पर सामग्री प्रदाय किया जाना आवश्यक है। आवश्यकतानुसार यह समय सीमा घटाई भी जा सकती है।

ब. आदेशित मात्रा अनुसार निगम के जिला कार्यालय के माध्यम से निर्धारित विभाग/स्थान तक पहुंचाने की समस्त जवाबदारी संबंधित प्रदायक की रहेगी।

स. प्रदायक द्वारा निर्धारित समय सीमा में सामग्री प्रदाय न किये जाने की दशा में सामग्री की प्रदायगी, संबंधित प्राप्तकर्ता विभाग की सहमति से ही मान्य किया जा सकेगा।

द. प्रदायक द्वारा यदि प्रदायगी में विलंब किया जाता है एवं विलंब के कारण विभाग/निगम को हानि होती है तो इस हानि के लिये प्रदायक की जवाबदारी होगी, जिसकी वसूली निगम द्वारा प्रदायक की धरोहर राशि एवं लंबित भुगतान से की जावेगी। हानि की राशि का निर्धारण निगम के प्रबंध संचालक द्वारा किया जावेगा जिसे आफरकर्ता द्वारा मान्य किया जावेगा।

इ. मैन्यूली आपरेटेड (Manually Operated) एवं बैलचलित (Bullock Drawn) कृषि यंत्रों की तकनीकी गुणवत्ता सुनिश्चित किये जाने हेतु प्रदायक को कृषि यंत्री (कृषि अभियांत्रिकी संचालनालय) अथवा भारत शासन से मान्यता प्राप्त गुणवत्ता निरीक्षण एजेन्सी (तृतीय पक्ष– जैसे राईट्स/आई.आर.क्लास./एस.जी.एस. इत्यादि) से निर्माण इकाई (फैक्ट्री) में डिस्पेच से पूर्व से निर्मित समस्त कृषि यंत्रों का शत–प्रतिशत गुणवत्ता निरीक्षण करवाना है एवं प्रत्येक डिस्पेच की निरीक्षण रिपोर्ट देयक के साथ अनिवार्यतः प्रस्तुत करना होगी। निरीक्षण शुल्क का वहन प्रदायकर्ता को ही करना होगा।

18. <u>क्षेत्रीय स्तर पर प्राप्त मांग हेतु आदेश की प्रकिया :–</u>

अ. ऑफरकर्ताओं को क्षेत्रीय स्तर पर प्राप्त होने वाली फर्म मांग की पूर्ति करना होगी। क्षेत्रीय स्तर पर मांग/कार्य की मात्रा पूर्व निर्धारित नहीं है। निगम द्वारा शासकीय विभागों/शासकीय उपक्रमों/अन्य से प्राप्त फर्म मांग के आधार पर आदेश निगम के क्षेत्रीय प्रबंधकों द्वारा जारी किये जावेंगे।

ब. निगम द्वारा जारी आदेश में उल्लेखित प्रदाय की तिथि/स्थल में प्राप्तकर्ता विभाग द्वारा परिवर्तन किया जाता है तो विधिवत सूचना प्रदायकों को दी जावेगी। प्रदायक द्वारा नवीन शेड्यूल के अनुसार सामग्री निर्धारित दर पर प्रदाय करना होगी। उक्तानुसार परिवर्तन होने पर किसी भी प्रकार का अतिरिक्त भुगतान निगम द्वारा प्रदायक को नहीं किया जावेगा।

ऑफरकर्ता को आदेशानुसार सामग्री प्रदाय उपरांत तीन दिवस के अंदर पावती के साथ कय देयक संबंधित शाखा को प्रस्तुत करना होगा। ऑफरकर्ता के कय देयक में <u>ऑफरकर्ता/निर्माता का जीएसटी नम्बर एवं निगम के जीएसटी नम्बर का भी स्पष्ट उल्लेख ऑफरकर्ता द्वारा किया जावेगा</u>। ऑफरकर्ता द्वारा मैन्यूली आपरेटेड (Manually Operated) एवं बैलचलित (Bullock Drawn) कृषि यंत्रों पर भारत शासन द्वारा लागू जीएसटी कर एवं करादान संबंधी नियमों का पूर्णतः पालन करना होगा। <u>निगम के माध्यम से प्रदाय कृषि यंत्रों पर देय जीएसटी कर राशि एवं शासन द्वारा शास्ति अधिरोपित होने पर ब्याज सहित राशि का पूर्ण भुगतान निर्धारित समय पर प्रत्येक माह आफरकर्ता (निर्माण ईकाई) द्वारा भारत शासन/मध्यप्रदेश शासन को</u> करना होगा।

स. जीएसटी के नियमानुसार कय की गई सामग्री का 90 दिवस के अंदर विकय होकर संपूर्ण राशि प्राप्त हो जाना चाहिये। अतः क्षेत्रीय प्रबंधक यह सुनिश्चित करेंगे कि क्षेत्र में प्राप्त फर्म मांग के विरूद्ध उतनी ही मात्रा के फर्म आदेश जारी किये जावें जिनका समयसीमा में शतप्रतिशत विकय हो सके, अर्थात् कंसाईनमेंट पर कोई व्यवसाय नहीं किया जावेगा।

द. परिवहन के दौरान सामग्री को आग, चोरी, एक्सीडेंट, टूट–फूट आदि किसी भी प्रकार से हुए नुकसान की जवाबदारी ऑफरकर्ता की रहेगी। इस प्रकार से हुए नुकसान की भरपाई ऑफरकर्ता द्वारा ही पूरी की जाना होगी।

इ. <u>भुगतान :–</u>

निगम द्वारा दिये गये प्रदाय आदेशानुसार, सामग्री निर्धारित स्थान पर प्रदायक से संबंधित विभाग/केता को प्राप्त होने पर सामग्री की विधिवत पावती, संतुष्टि प्रमाणपत्र आदि दस्तावेज प्रदायक द्वारा प्रस्तुत किये जावेंगे। प्रदाय सामग्री की राशि, निगम को विभाग/केता से प्राप्त होने के उपरांत "भुगतान पश्चात भुगतान" की शर्त के आधार पर निगम के संबंधित जिला प्रबंधक द्वारा 15 दिवस में प्रदायक के देयक का भुगतान किया जावेगा। निर्माता को भुगतान करने से पूर्व निगम को संबंधित विभाग से राशि प्राप्त होना आवश्यक होगा।

दर अनुमोदन के समय आदेश एवं भुगतान प्रकिया की पूर्ण जानकारी दी जाएगी। कृषक अंश की प्राप्ति को ही सामग्री का विकय माना जायेगा अर्थात उतनी ही राशि के अनुदान का भुगतान किया जायेगा जिसका कृषक अंश प्राप्त हो गया है।

उपरोक्त के अतिरिक्त कृषक अंश प्राप्त होने पर (निगम मार्जिन काटकर) एवं अनुदान की राशि प्राप्त होने पर शेष राशि का भुगतान प्रदायक को 15 दिवस में किया जावेगा।

शासकीय विभागों/कृषि विभाग आदि से प्राप्त होने वाली मांग, व योजनाओं की अनुदान राशि आबंटन में विलंब/कमी/परिवर्तन होने से भुगतान में भी तदानुसार विलंब/कमी/परिवर्तन निगम द्वारा किया जावेगा। उक्त स्थिति में कृषि यंत्र अविक्रित रह सकते हैं जिसके लिये निगम जिम्मेदार नहीं रहेगा। प्रदायक के लंबित देयकों की देय राशि पर किसी भी प्रकार से ब्याज की राशि का भुगतान निगम द्वारा नहीं किया जावेगा।

निगम के साथ प्रदायक द्वारा किये गये उपरोक्त एवं अन्य व्यवसाय से संबंधित शासन द्वारा कोई आपत्ति/शास्ति जैसे प्रदायक द्वारा शासकीय कर नहीं चुकाने से उक्त कर राशि व कर पर ब्याज राशि निगम पर शासन द्वारा अधिरोपित की जाती है तो निगम प्रदायक के किसी भी लंबित देयक से तदानुसार कर राशि व ब्याज राशि काटकर शासन को प्रदायक द्वारा देय कर के मद में जमा करेगा। इस प्रकार के प्रकरणों में निगम पर क्लेम/न्यायालयीन कार्यवाही प्रदायक द्वारा नहीं की जायेगी।

19. <u>प्रदाय सामग्रियॅा को स्वीकृत/अस्वीकृत करने का अधिकार :–</u>

प्रदायक को आदेशानुसार निर्धारित मापदण्ड की सामग्री निर्धारित समय सीमा में प्रदाय किया जाना आवश्यक है। निम्न स्थितियों में प्रदायक द्वारा भेजी गयी प्रदाय सामग्रियॅा को अस्वीकृत किया जा सकता है :–

अ. प्रदाय सामग्रियॅा निर्धारित मापदण्ड अनुसार न होने की दशा में।
ब. निर्धारित समय सीमा समाप्त होने के पश्चात प्रदाय सामग्रियॅा प्राप्त होने की दशा में।
स. क्रेता विभाग द्वारा किसी भी कारणवश (जंग लगा होना, पिचका होना इत्यादि के कारण से) प्रदाय सामग्रियॅा अस्वीकृत की जाती है, तो प्रदायक को सामग्रियॅा निर्धारित मापदण्ड अनुसार बदलकर देना होगी।

यदि उक्त कारणों के आधार पर प्रदाय सामग्रियॅा को अस्वीकृत किया जाता है एवं कृषि विभाग/शासन द्वारा यंत्रों की मांग कम की जाती है तो निगम द्वारा निर्धारित समय सीमा में प्रदायक को स्वयं के व्यय पर प्रदाय सामग्रियॅा वापिस लेना होगा। किसी भी स्थिति में निगम प्रदाय सामग्रियॅा वापिस होने से हुए नुकसान के लिये उत्तरदायी नहीं रहेगा।

20. <u>ऑन लाईन रेट कांट्रेक्ट अंतर्गत न्यूनतम दर पर अनुबंध :–</u>

ऑफरकर्ता द्वारा जो दरें निगम को प्रस्तुत की हैं, वे दरें न्यूनतम होना आवश्यक है। आरसीओ में भाग लेने वाले इच्छुक समस्त आफरकर्ता आरसीओ में प्राप्त / निगम द्वारा अनुमोदित न्यूनतम दर पर सहमति देकर अनुबंध कर सकेंगे। **निगम आफरकर्ता के डीलर के रूप में रेट कांट्रेक्ट आफर में प्राप्त न्यूनतम दर पर व्यवसाय करेगा।**

21. **<u>ऑन लाईन रेट कांट्रेक्ट आफर खुलने की तिथि को अवकाश :–</u>**

आन लाईन रेट कांट्रेक्ट आफर खुलने की निर्धारित तिथि 09/02/2021 को यदि शासन/जिला प्रशासन द्वारा अवकाश घोषित किया जाता है, तो ऐसी स्थिति में ऑन लाईन रेट कांट्रेक्ट आफर दूसरे कार्यालयीन दिवस को निर्धारित समय पर ही प्राप्त किये तथा खोले जावेंगे।

22. **<u>अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग के उद्यमियों से क्रय :–</u>**

राज्य शासन की नीति के तहत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के ऑफरकर्ता जिनके द्वारा जिला उद्योग केन्द्र में विशेष पंजीयन से संबंधित सर्टिफिकेट प्रस्तुत किया जावेगा एवं जो ऑन लाईन रेट कांट्रेक्ट आफर शर्तो के अनुरूप योग्य पाये जावेंगे, को निर्धारित नीति अनुसार व्यवसाय में न्यूनतम 30 प्रतिशत की भागीदारी सुनिश्चित की जावेगी। यह व्यवस्था केवल उन्हीं प्रकरणों में मान्य होगी जहॉ शासन से फर्म आदेश प्राप्त होता है। कृषक द्वारा क्रय किये जाने की स्थिति में कृषक को चयन करने का पूर्ण अधिकार है।

23. आफरकर्ता द्वारा ऑन लाईन रेट कांट्रेक्ट आफर प्रस्तुत किये जाने की दशा में यह माना जाएगा कि उनके द्वारा आन लाईन रेट कांट्रेक्ट आफर प्रपत्र के सभी नियम एवं शर्तो को भलीभांति पढ़ लिया गया है एवं आफरकर्ता सभी नियम एवं शर्तो से सहमत है। आफरकर्ता को रेट कांट्रेक्ट आफर प्रपत्र के समस्त पृष्ठों पर हस्ताक्षर करना अनिवार्य होगा।

24. निगम के प्रबंध संचालक ऑन लाईन रेट कांट्रेक्ट आफर की किसी भी शर्त में आंशिक/पूर्ण परिवर्तन/संशोधन/निरस्त करने के लिये अधिकृत रहेंगे।

25. **<u>वारण्टी/गारण्टी –</u>**

प्रदाय किये जाने वाले कृषि यंत्रों के प्रदाय पश्चात् निर्माण संबंधी त्रुटि (मेनूफेक्चरिंग डिफेक्ट आदि) पाये जाने पर सामग्री 15 दिवस के अंदर दुरूस्त कर अथवा बदलकर उपलब्ध कराने की जबावदारी आफरकर्ता की स्वयं की होगी। इस हेतु निगम द्वारा पृथक से कोई भी भुगतान नही किया जावेगा। <u>वारण्टी/गारण्टी</u> एक वर्ष तक लागू रहेगी।

26 **<u>विवाद की स्थिति :–</u>**

आफरकर्ता एवं निगम के बीच यदि कोई विवाद की स्थिति उत्पन्न होती है तो प्रकरण निगम के प्रबंध संचालक को आर्बीट्रेटर के रूप में प्रस्तुत किया जावेगा। आर्बीट्रेटर के निर्णय से असंतुष्ट होने की दशा में न्यायालयीन क्षेत्र भोपाल रहेगा।

उप महाप्रबंधक (इंजी)

M P AGRO
दि एम.पी.स्टेट एग्रो इण्डस्ट्रीज डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन
पंचानन, तृतीय मंजिल, मालवीय नगर, भोपाल
Phone: 2551807/2551652/2551756/2556857; FAX 2557305
Email: mpagrohobpl@gmail.com

ऑफरकर्ता अपनी फर्म से संबंधित जानकारी निम्नानुसार प्रारूप में देवें।

1.	फर्म / यूनिट का नाम	....
2	फर्म का पता	कार्यालय.. ....
3	मुख्य गतिविधियां	....
4	मालिक / पार्टनर का नाम	....
5	उस व्यक्ति का नाम एवं पद जिसे रेट कांट्रेक्ट आफर प्रपत्र पर हस्ताक्षर करने हेतु अधिकृत किया गया हो।	....
6	संलग्न डिमांड ड्राफ्ट राशि रू ..../– का विवरण।	बैक ड्राफ्ट क्रमॉक .... दिनॉक .... जारी करने वाले बैक का नाम ....
7	टेलीफोन नंबर	....
8	फैक्स / ई मेल नंबर	....
9	म0प्र0 वाणिज्य कर अधिनियम क्रं एवं तिथि, GSTIN नंबर	....
10	पेन नंबर	....
11	क्या उपरोक्त फर्म अथवा इसके स्वामित्व अथवा इसके साझेदारी वाली किसी अन्य फर्म को केन्द्रीय / प्रादेशिक किसी भी शासकीय संस्थान द्वारा किसी भी समय ब्लेक लिस्ट / प्रदाय से वंचित किया गया है / राशि आदि जप्त की है। यदि हां तो उसका कारण एवं विवरण।	....

ऑफरकर्ता के हस्ताक्षर एवं सील

M P AGRO
दि एम.पी.स्टेट एग्रो इण्डस्ट्रीज डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन
पंचानन, तृतीय मंजिल, मालवीय नगर, भोपाल
Phone: 2551807/2551652/2551756/2556857; FAX 2557305
Email: mpagrohobpl@gmail.com

ऑफरकर्ता की निर्माण इकाई एवं निर्माण संबंधी जानकारी निम्नानुसार प्रारूप में देंवें।

1.	निर्माण इकाई / यूनिट का नाम	....
2	निर्माण इकाई का विद्युत कनेक्शन (H.P./K.W.)	....
3	कामगारों की संख्या	....

4. निर्माण इकाई में निर्मित यंत्रों की गुणवत्ता परीक्षणों के साधनों / निर्माण हेतु कार्यशील मशीनों का विवरण

क्रं.	मशीनरी का नाम	क्षमता (H.P./K.W.)	संख्या

12. ऑन लाईन रेट कान्ट्रेक्ट आफर में दर ऑफर किये कृषि यंत्रों की निर्माण क्षमता (यंत्रवार एवं मासिक) :–

क्रं.	कृषि यंत्र का नाम	निर्माण इकाई की मासिक क्षमता (संख्या में)	रिमार्क
01	मैन्यूली आपरेटेड Chaff Cutter (ISI Marked & Non ISI)		
02	मैन्यूली आपरेटेड Spiral Seed Grader (7Disc)		
03	मैन्यूली आपरेटेड Maiz Shaller/ Serrated Sickle		
04	Winnowing Fan (I & II)		
05	Soya Weeder/ Single Dora		
06	Low.Lift. Pump (Hand & Pedal)		
07	Auto.Seed Cum Ferti. Drill (3-Furrow)		
08	Bund Former/Reversible Plough		
09	Multi Tool Fram		

6. निर्माण ईकाई द्वारा विगत 03 वर्ष (01.04.2017 से 31.03.2020 तक) में निर्मित एवं विक्रय किये गये यंत्रों की जानकारी :–

क्रं.	यंत्र का नाम	मासिक प्रदाय क्षमता	निर्मित संख्या	विक्रित संख्या

ऑफरकर्ता के हस्ताक्षर एवं सील

वित्तीय प्रस्ताव

PRICE BID OF AGRICULTURAL IMPLEMENTS

	NAME AND ADDRESS OF THE BIDDER								
S. No.	Name of Agril. Implement	HSN Code	Supply Capacity- Nos. (In 60 days)	Basic Price	GST (%) & Amount	Corpn. Margin 5% (**5% of 5**)	GST on Corpn. Margin	Final {FOR Block H.Q.} Selling Rate to Customer inclusive of all taxes (GST etc.) and 5% Corpn. Margin	
1	2	3	4	5	6	7	8	9={5+6+7+8}	
A	**Manually Operated Implement**							In Figure	In Words
1	CHAFF CUTTER (ISI Marked)								
	BIS LICENCE NO.								
	Make								
2	CHAFF CUTTER (NON ISI)								
	Make								
3	SPIRAL SEED GRADER (7-DISC)								
4	Maiz Shaller								
5	Serrated Sickle								
6	Winnowing Fan (I)								
7	Winnowing Fan (II)								

8	Soya Weeder								
9	Low.Lift. Pump (Hand)								
10	Low.Lift. Pump (Pedal)								
11	Ground Nut Decorticater								
B	**Bullock Drawn Impliment**								
	Make								
12	Auto.Seed Cum Ferti. Drill (3Furrow)								
13	Single Dora								
14	Bund Former								
15	Multi Tool Frame								
16	Reversible Plough								

आफरकर्ता के हस्ताक्षर एवं सील

:: अनुबंध ::

यह अनुबंध आज दिनांक .... को मध्यप्रदेश राज्य कृषि उद्योग विकास निगम जो कि कम्पनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत गठित शासकीय उपक्रम है तथा आगे इसे ''निगम'' कहा जावेगा की ओर से श्री सी.एस.श्रीवास्तव, उप महाप्रबंधक (इंजी) एवं मेसर्स ....की ओर से श्री .... पदनाम .... जिनके हस्ताक्षर अनुबंध पर है, जिन्हें आगे प्रदायक कहा जावेगा, के बीच निष्पादित किया गया है।

यह कि निगम द्वारा समाचार पत्र में विज्ञप्ति प्रकाशित कर मैन्यूली आपरेटेड (Manually Operated) एवं बैलचलित (Bullock Drawn) कृषि यंत्रों के प्रदाय हेतु दिनांक 09.02.2021 को ऑफर आमंत्रित किये गये थे। प्रदायक द्वारा ऑन लाईन रेट कांट्रेक्ट आफर क्रय करते हुए ऑन लाईन रेट कांट्रेक्ट आफर प्रपत्र की सभी शर्तो को मान्य करते हुए रेट कांट्रेक्ट आफर में भाग लिया गया है। ऑन लाईन रेट कांट्रेक्ट आफर प्रपत्र भी अनुबंध का हिस्सा है।

निगम द्वारा पत्र क्रमांक .... दिनांक .... से प्रदायक के रेट कांट्रेक्ट आफर को मान्य करते हुए अनुबंध करने बाबत् कार्यवाही की गई है।

निगम द्वारा प्रदायक की मैन्यूली आपरेटेड (Manually Operated) एवं बैलचलित (Bullock Drawn) कृषि यंत्रों हेतु दरों को स्वीकृत किया गया है, का विवरण संलग्न (परिशिष्ट क. 2, 2ए....2बी, 3, 3ए, 3बी अनुसार) पर उल्लेखित है, का (आन लाईन रेट कांट्रेक्ट आफर प्रपत्र में) निर्धारित शर्तो अनुसार निगम को प्रदाय करने हेतु सहमत है।

निम्नानुसार दस्तावेज/दस्तावेजों में उल्लेखित शर्ते एवं नियम अनुबंध का हिस्सा होंगेः–

1. ऑन लाईन रेट कांट्रेक्ट आफर प्रपत्र में उल्लेखित सभी शर्तें।
2. मैन्यूली आपरेटेड (Manually Operated) एवं बैलचलित (Bullock Drawn) कृषि यंत्रों की निर्धारित मापदण्ड (रेट कांट्रेक्ट आफर परिशिष्ट क्र0 2, 2ए.....2बी, 3, 3ए, 3बी अनुसार)
3. प्रदायक का सहमति पत्र दिनांक ....
4. प्रदायक द्वारा प्रस्तुत आन लाईन रेट कांट्रेक्ट आफर व अन्य जानकारियां।

उक्तानुसार उल्लेखित दस्तावेज/दस्तावेजों में उल्लेखित नियम व शर्ते अनुबंध का हिस्सा रहेंगे।

अनुबंध के संबंध में निगम के प्रबंध संचालक का निर्णय अंतिम ओर मान्य रहेगा।

उक्तानुसार विवरण के आधार पर दोनों पक्ष के मध्य अनुबंध उल्लेखित दिनांक को संपादित किया जाता है।

उप महाप्रबंधक (इंजी)

गवाह :

1.

2.

प्रदायक

1.

2.